कार्यालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

क्रमांक :– 2327 **दिनांकः–** 21/05/25

:कार्यालय आदेशः

श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर पत्र क्रमांक स्था. /2025/18061 दिनांक 16.05.2025 की अनुपालना में मैं अर्चना गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–2) विभाग के आदेश द्वारा अलवर न्यायक्षेत्र में नव सृजित महिला पुलिस थाना खैरथल एवं नवीन पुलिस थाना जैरोली तहसील तिजारा में खोला गया है। जिन दोनों थानों का न्यायिक क्षेत्राधिकार का आवंटन किया जा चुका हैं तथा अलवर मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय में कार्य सुचारू रूप से चलाने हेतु अलवर न्यायक्षेत्र में थानों के धारा 183 बी एन एन एस/मुत्युकालीन कथन लिये जाने हेतु मैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12 एवं 13 के तहत परिदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलवर न्यायक्षेत्र में निम्न मुख्यालय पर स्थित निम्न पुलिस थानों के धारा 183 बी एन एन एस/मुत्युकालीन कथन लिये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 4629 दिनांक 14.11.2024 एवं आदेश क्रमांक 2238 दिनांक 04.06.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए नये थानों एवं निम्न पुलिस थानों के धारा 183 बी एन एन एस के बयान निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा लेखबद्व किये जायेगें–

क्र0सं0	पुलिस थाना	न्यायालय का नाम
1.	महिला पुलिस थाना, खैरथल	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, किशनगढबास
2.	पुलिस थाना जैरोली	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिजारा
3.	खैरथल, कोटकासिम	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, किशनगढबास
4.	विजय मंदिर, अलवर	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2, अलवर
5.	शिवाजी पार्क, अलवर	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 3, अलवर
6.	भिवाडी	सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाडी
7.	महिला पुलिस थाना, भिवाडी	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाडी

इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 4629 दिनांक 14.11.2024 एवं आदेश क्रमांक 2238 दिनांक 04.06.2024 के शेष आदेश यथावत रहेंगे।

उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो। भवदीया,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलवर (राज0)

क्रमांकः–2328-46 दिनांकः– 21/05/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है–

1. माननीय जिला एवम सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर
2. श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर
3. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर/खैरथल–तिजारा/बहरोड–कोटपूतली/भिवाडी
4. संबंधित पुलिस थाना.....
5. कार्यालय प्रति/संबंधित न्यायालय/अध्यक्ष, बार एसोसियेशन.....
6. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (उक्त आदेश को साईट पर अपलोड कर समस्त न्यायालय, अलवर न्यायक्षेत्र को ई–मेल करें)

अर्चना गुप्ता

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अलवर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (राज0)